अतिमहत्वपूर्ण /समयबद्ध

संख्या- 49 /2016/1373 /35-3-2016-1(51)/2015

प्रेषक,

अरूण कुमार सिन्हा,
प्रमुख सचिव**,**
उत्तर प्रदेश शासन।

सेंवा में,

समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

नियोजन अनुभाग-3 **लखनऊ:दिनांक 10 जून, 2016**

विषय: राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) डेटाबेस को अद्तन करने के क्षेत्र कार्य का समापन एवं निर्धारित समय सीमा में गणना ब्लॉक सार की ऑन लाइन प्रविष्टि का कार्य पूर्ण करवाने के संबंध में।

महोदय,

अवगत होना चाहें कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अद्यतन करने संबंधी क्षेत्रीय कार्य दिनांक 16 दिसम्बर, 2015 से 15 जनवरी, 2016 के मध्य किया जाना था, तदोपरांत उक्त के गणना ब्लॉक सार की ऑनलाइन प्रविष्टि का कार्य एन0आई0सी0 के पोर्टल पर दिनांक 12 मार्च, 2016 तक पूर्ण कराने का निर्देश समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को शासन के पत्र संख्या-13/2016/491/35-3-2016-1(51)/2015 दिनांक 24.2.2016 द्वारा निर्गत किया गया था तथा इस संबंध में शासन के पत्र संख्या-34/2016/747/35-3-2016-1(51)/2015 दिनांक 29.03.2016 द्वारा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की ओर से समस्त जिलाधिकारियों को पुन: निर्देशित किया गया था। गणना ब्लॉक सार की ऑनलाइन प्रविष्टि संबंधी कार्य की प्रगति के संबंध में जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा शासन के संज्ञान में लाया गया है कि दिनांक 31.05.2016 तक प्रदेश के कुछ जिलों में अत्यन्त धीमी गति से गणना ब्लॉक सार की ऑनलाइन प्रविष्टि का कार्य अत्यन्त धीमी गति से चल रहा है, जिनमें कुछ जनपदों में 80 प्रतिशत से कम एवं तीन जनपदों- लखनऊ, ललितपुर एवं गोरखपुर में 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया गया है, जिसके कारण उक्त कार्य के अगले चरण (क्षेत्रीय कार्य के डेटावेस को अद्यतन करने) की प्रक्रिया में विलम्ब हो रहा है।

2- आप अवगत हैं कि यह एक राष्ट्रीय महत्व का समयबद्ध कार्यक्रम है। यहां पर यह भी अवगत कराना है कि प्रश्नगत कार्य के अगले चरण के कुंजीयन कार्य हेतु भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के क्रम में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन एवं राज्य कर्मियों को पर्यवेक्षण कार्य हेतु तैनात करने एवं कुंजीयन कार्य की पूर्व तैयारी के संबंध में शासन के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पत्र सं0-48/2016/1144/35-3-2016-1(51)/2015 दिनांक 08 जून, 2016 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किये जा चुके हैं। समस्त सेवा प्रदाता एजेंसियों के नामित प्रतिनिधियों का मण्डल स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जून, 2016 के अन्तिम सप्ताह में किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण हेतु मण्डलवार तिथियों की सूचना जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा पृथक से भेजी जा रही है।

अतएव आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने-अपने मण्डल के चिन्हित जिलों की प्रगति का अनुश्रवण अपने स्तर पर अर्थ एवं संख्या विभाग के अधिसूचित अधिकारियों के माध्यम से करते हुए अविलम्ब गणना ब्लॉक सार की ऑनलाइन प्रविष्टि का कार्य पूर्ण करवाने का कष्ट करें, ताकि शासन के पत्र संख्या-13/2016/491/35-3-2016-1(51)/2015 दिनांक 24.02.2016 में निहित निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुये गणना ब्लाक सार की आनलाइन प्रविष्टि का कार्य बिना किसी विलम्ब के समस्त जनपदों द्वारा पूर्ण करा लिया जाय तथा कृत कार्यवाही से जनगणना कार्य निदेशालय एवं शासन को एक सप्ताह में अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(**अरूण कुमार सिन्हा**)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 49 /2016/1373(1)/ 35-3-2016-1(51)/2015 तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- श्री एस. के. चक्रवर्ती अतिरिक्त रजिस्ट्रार जनरल (नागरिकता पंजीकरण), भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, 2/ए मानसिंहरोड, नई दिल्ली।
2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, अर्थ एवं संख्या, उ0प्र0।
5- समस्त जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, उ0प्र0।
3- संयुक्त निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तर प्रदेश को उनके पत्रांक-डीसीओ-यूपी/35-2015/एनपीआर-261 दिनांक 06.06.2016 के संदर्भ में।

आज्ञा से,

(**नवीन चन्द्र त्रिपाठी**)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in